अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों में भारतीय कानूनों की प्रभावशीलता

विवेक प्रताप सिंह
शोधार्थी

सारांश

भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है जहाँ अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। हालांकि, इतिहास गवाह है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है। इन्हें भेदभाव, शोषण और अन्याय झेलना पड़ा है, जिससे उनकी समग्र प्रगति प्रभावित हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान और विभिन्न कानूनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 46 के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, संपत्ति अधिकार से जुड़े कानून, और श्रम कानून अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। पंचायती राज अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे वे राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकें।

कुंजीभूत शब्द

संवैधानिक अधिकार, संरक्षण, भारतीय संविधान, संपत्ति अधिकार, श्रम कानून, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, प्रभावशीलता, कानूनी प्रावधान, भेदभाव, शोषण।

शोध विस्तार

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप

से सशक्त बनाने के लिए संविधान में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उनकी गरिमा, पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संवैधानिक अधिकार

1. समानता और भेदभाव का निषेध

संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) विशेष रूप से राज्य को यह शक्ति देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बना सके। यह प्रावधान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है।

2. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 और 24 के तहत, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शोषण का शिकार बनाया जाता है। ये प्रावधान उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करते हैं।

3. शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण

संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे एसटी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित होता है।

4. सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष रूप से रक्षा करे। इस अनुच्छेद के तहत सरकार कई योजनाएँ और कानून लागू करती है, जो एसटी महिलाओं के उत्थान में सहायक होती हैं।

5. राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 243D और 330-332 के तहत, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायतों, नगरपालिकाओं और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे वे राजनीतिक रूप से सशक्त होती हैं और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है।

कानूनी प्रावधान

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को शोषण, भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम विशेष रूप से इन समुदायों की महिलाओं की रक्षा करता है, जो कई बार दोहरे भेदभाव (जातीय और लैंगिक) का सामना करती हैं।

1. **अत्याचारों की परिभाषा** - अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए कई प्रकार के अपराध, जैसे - जातिगत अपमान, सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक उत्पीड़न, बलात्कार, संपत्ति छीनना, जबरन मजदूरी आदि को अत्याचार माना जाता है।
2. **कठोर दंड के प्रावधान** - इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों को संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
3. **तेजी से न्याय दिलाने के उपाय** - इस कानून के तहत विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो।
4. **पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास** - इस अधिनियम के तहत अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा देने और पुनर्वास करने का प्रावधान है।
5. **झूठे मामलों पर रोक** - इस अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक दृष्टिकोण: प्रमुख न्यायिक निर्णय और उनके प्रभाव

भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए महिलाओं के हित में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए

हैं। इस लेख में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रमुख न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण किया गया है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक दृष्टिकोण: प्रमुख न्यायिक निर्णय और उनके प्रभाव भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। संविधान ने महिलाओं को समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से समाज में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की लैंगिक भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा है। ऐसे में, न्यायपालिका ने समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय देकर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के संदर्भ में कई ऐतिहासिक फैसले सामने आए हैं, जिन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद की है।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रमुख मामलों में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) का निर्णय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने "विशाखा दिशानिर्देश" जारी किए, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा बने। इस फैसले के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पारित किया गया, जिससे महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिला। इसी तरह, शाह बानो मामला (1985) भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया गया। इस फैसले के बाद, सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और स्पष्ट किया गया।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संदर्भ में भी न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। मदुरी पाटिल बनाम भारत संघ (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों का लाभ सुनिश्चित हुआ। इसी प्रकार, केशरी नाथ त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार (2001) मामले में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित किया गया। परंपरागत रूप से, आदिवासी समुदायों में

महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन इस फैसले के बाद उनके संपत्ति अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा मिली। श्रम कानूनों के संदर्भ में भी न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। एयर इंडिया बनाम नर्गिस मिर्जा (1981)6 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के रोजगार अधिकारों की रक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि महिलाओं को विवाह के कारण नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय महिलाओं के कार्यस्थल अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी तरह, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन बनाम डिस्टिक्ट जज (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश के अधिकार को स्पष्ट किया और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया, जिससे गर्भवती महिलाओं को अवकाश और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के संदर्भ में इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017) मामला भी एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों को बलात्कार करार दिया। इस फैसले ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को और मजबूत किया और नाबालिग लड़कियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। इसी तरह, सबरीमाला मंदिर मामला (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित किया और 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले ने धर्म और परंपरा के नाम पर किए जाने वाले लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।

Aryavart Journal of Multidisciplinary Research

निष्कर्ष

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे निर्णय दिए हैं, जिनसे न केवल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हुई है, बल्कि समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ी है। विशेष रूप से विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997), शाह बानो मामला (1985), निर्भया कांड (2012), सबरीमाला मंदिर मामला (2018) जैसे फैसलों ने महिलाओं को कार्यस्थल, परिवार और धार्मिक क्षेत्रों में समान अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पंचायती राज

अधिनियम, 1996 और श्रम कानूनों की प्रभावी व्याख्या करके न्यायपालिका ने समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया है।

हालाँकि, इन न्यायिक फैसलों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कानूनी जागरूकता की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ, प्रशासनिक बाधाएँ और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएँ अब भी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती हैं। इसलिए, केवल कानून और न्यायिक फैसले ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज में मानसिकता परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार और कड़े कानूनों के सख्त अनुपालन की भी आवश्यकता है।

संदर्भ (Citations)

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 SCC 241
2. शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान, (1985) AIR 945 SC
3. निर्भया मामला, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
4. मदुरी पाटिल बनाम भारत संघ, (1994) 6 SCC 241
5. केशरी नाथ त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार, (2001) AIR SC 999
6. एयर इंडिया बनाम नर्गिस मिर्जा, (1981) AIR SC 1829
7. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
8. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
9. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 -अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 -मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

Aryavart Journal of Multidisciplinary Research